छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

विपणन संघ

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित्

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, सी.बी.डी.

सेक्टर –21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.) 492002

दूरभाष नंबर : 0771–2425441

विपणन संघ मुख्यालय में कम्प्यूटर स्टेशनरी (नया टोनर क्रय एवं रिफलिंग) हेतु निविदा प्रपत्र

निविदा फॉर्म शुल्क – 1000/–

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

क्र./स्टेशनरी/ 1960 /2023 न.रा.अ.न. दिनांक 25/07/2023

कम्प्यूटर स्टेशनरी (नया टोनर क्रय एवं रिफलिंग) हेतु निविदा सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में एक वर्ष के लिये कम्प्यूटर स्टेशनरी (टोनर रिफलिंग एवं नया टोनर) प्रदाय किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट wwww.markfed.cg.nic.in में देखा जा सकता है। निविदा प्रपत्र कार्यालयीन समय तथा कार्यालयीन दिवस में राशि रू. 1000.00 के बैंक ड्राफ्ट जो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर के नाम से देय हो, के माध्यम से लेखा कैश कक्ष से प्राप्त किया जा सकता है।

1. निविदा प्रकाशन तिथि –27.07.2023
2. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय –16.08.2023 दोपहर 3.00 तक
3. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय – 16.08.2023 सायं 5.30 तक
4. निविदा खोलने की तिथि, समय एवं स्थान– 17.08.2023 दोपहर 3.00 बजे

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी. बी.डी., सेक्टर–21, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

सचिव,
छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित
मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर,
जिला रायपुर (छ.ग.)

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

कम्प्यूटर स्टेशनरी (नया टोनर क्रय एवं रिफलिंग) हेतु निविदा विषय सूची

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक से पृष्ठ क्रमांक तक
1	निविदाकार से संबंधित जानकारी	02
2	निविदा शर्ते/निर्देश एवं मार्गदर्शक सूचनाएं	03 से 05
3	निविदाकर्ता का परिचय एवं विवरण भाग (क) तकनीकी लिफाफा हेतु परिशिष्ट –01	06 से 07
4	निविदा दर भाग (ख) वित्तीय लिफाफा हेतु परिशिष्ट –02	08 से 09
5	निविदाकर्ता से इकरारनामा का प्रारूप परिशिष्ट –03	10
6	सत्यनिष्ठा संधि परिशिष्ट –04	11 से 19

1) निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकार द्वारा हस्ताक्षर कर अपने सील अंकित की जावेगी। समस्त परिशिष्ट निविदा दस्तावेज के अभिन्न अंग माने जायेंगे।

2) समस्त निविदाकारों से अनुरोध है कि वे उक्त परिशिष्टों का गहन अध्ययन करने के उपरांत ही अपना दरें प्रस्तुत करे, ताकि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई निविदा विधिवत रूप से प्रस्तुत हो सके।

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

कम्प्यूटर स्टेशनरी (नया टोनर एवं रिफलिंग) हेतु निविदा

1. निविदाकार का पूरा नाम : .....
2. दूरभाष क्र./मोबाईल नं. : .....
3. निविदाकार का स्वरूप (फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दु अविभाजित परिवार) : .....
4. फर्म का नाम एवं पता : .....
5. निविदा फार्म का मूल्य : राशि रू. 1000.00 (समस्त कर सहित)
6. निविदा जमा करने का अंतिम दिनांक : दिनांक ..... को सायं ..... बजे
7. निविदा खोले जाने का दिनांक, समय एवं स्थान : दिनांक ..... को अपरान्ह ..... बजे

टिप्पणी

1. निविदा खोलने के लिये निर्धारित तारीख को यदि अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा अवकाश के पश्चात् अगले कार्यकारी दिवस को खोली जायेगी, लेकिन निविदा खोलने के उपरोक्त दर्शाये गये समय में परिवर्तन नहीं होगा।
2. निविदा प्रपत्र विपणन संघ की वेबसाईट wwww.markfed.cg.nic.in पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है, वेबसाईट से डाउनलोड कर भरी हुई निविदा के साथ राशि रू. 1000.00 का बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा।
3. प्रमाणित किया जाता है कि निविदा प्रपत्र में पृष्ठ क्रमांक 01 से ..... तक है।

निविदा फार्म जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर
नाम एवं पद मुद्रा

जारीकर्ता कार्यालय – .....
जारी दिनांक – .....

छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित

छठवीं मंजिल, टावर 'सी' कमर्शियल काम्पलेक्स, सी.बी.डी.,
सेक्टर–21, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)
WWW.markfed.cg.nic.in mf_ctrlroom_raipur@gov.in

विपणन संघ के कार्यालयीन उपयोग हेतु कम्प्यूटर स्टेशनरी (नया टोनर एवं रिफलिंग) प्रदाय हेतु निविदा शर्तें

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर के कार्यालयीन उपयोग के लिये कम्प्यूटर स्टेशनरी (नया टोनर एवं रिफलिंग) प्रदाय करने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्तें निम्नानुसार है :–

1. निविदा प्रपत्र निर्धारित प्रारूप में दो सील बंद लिफाफो में जिसमे एक तकनीकी लिफाफा (परिशिष्ट– 01) एवं दूसरा वित्तीय लिफाफा (परिशिष्ट– 02) अलग–अलग होगा तथा दोनों लिफाफों को एक बड़े सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत होगा। निविदा फार्म में प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।
2. **(अ)** तकनीकी लिफाफा (परिशिष्ट– 01) में निम्नानुसार नोटरी द्वारा प्रमाणित दस्तावेज निविदाकार द्वारा प्रदाय करना अनिवार्य है :–
   - i. छत्तीसगढ़ राज्य के जी.एस.टी. विभाग का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र मय निविदाकार के फोटो एवं जी.एस.टी. प्रोफाइल सहित नोटरी से प्रमाणित होना चाहिये।
   - ii. दुकान या संस्थान का जीवित स्थापना प्रमाण पत्र (गुमाश्ता लाईसेंस) नोटरी से प्रमाणित होना चाहिये।
   - iii. निविदाकार को विगत तिमाही का जी.एस.टी. 3बी संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो नोटरी से प्रमाणित होगा। निविदा के प्रत्येक पृष्ठ में निविदाकार के हस्ताक्षर होना चाहिये ताकि यह माना जा सके कि निविदाकार को निविदा की समस्त शर्तें मंजूर हैं।
   - iv. निविदाकार को विगत दो वर्ष का ITR, पेन कार्ड, एवं आधार कार्ड की नोटरी से प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - v. राशि रू. 15,000.00 का डिमांड ड्राफ्ट, (अमानत राशि) जो छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, रायपुर को देय हो, संलग्न करना होगा। यह सफल निविदाकार को कार्यादेश समाप्ति के उपरांत वापसी योग्य होगा एवं असफल निविदाकार को निर्णय के पन्द्रह दिवस के भीतर लौटा दिया जावेगा। इस पर कोई अतिरिक्त देय नहीं होगा।

(ब) वित्तीय लिफाफे (परिशिष्ट– 02) में निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में सामाग्री की दरें प्रस्तुत करनी होगी। निविदाकारों द्वारा तकनीकी लिफाफे में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया जावेगा। परीक्षण उपरांत जिन निविदाकारों के सभी दस्तावेज सहीं पाये जाते हैं सिर्फ उन्हीं निविदाकारों के ही दूसरे लिफाफा अर्थात वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा। जिन निविदाकार के सभी दस्तावेज परीक्षण उपरांत सहीं नहीं पाये जाते हैं उनके दरों के लिफाफे बिना खोले मूलतः वापस कर उनके द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त मानी जावेगी। जिन निविदाकार के सभी दस्तावेज परीक्षण उपरांत उपयुक्त पाये जाते हैं उन्हीं निविदाकार को ही निविदा के दूसरें चरण में बैठने की अनुमति प्रदान की जावेगी, जिसमें निविदा दरों वाले लिफाफे को खोला जावेगा, जिसके सूचना निविदाकारों को अग्रिम दी जावेगी।

3. निविदा दरें संलग्न प्रपत्र पर स्पष्ट एवं पठनीय अक्षरों में भरी जावे। प्रत्येक पृष्ठ पर निविदा भरने वाले के हस्ताक्षर होना चाहियें। निविदा में फर्म मालिक या उसके निविदा भरने वाले अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर करने की दशा में फर्म द्वारा उसे दिया गया मुख्त्यारनामा (पावर ऑफ अटार्नी) की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जावे। बिना हस्ताक्षर के निविदा मान्य नहीं होगी।
4. निविदा भरते समय दरों में कांट–छांट नहीं होनी चाहिये। यदि दर बदलनी हो तो पुरानी दर पर एक रेखा खींचकर एवं हस्ताक्षर करके उसके पास नई दर लिखें अन्यथा कांट–छांट वाली दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. प्रदाय आदेश मिलने के 24 घंटे में सामाग्री उपलब्ध कराना होगा अन्यथा खरीदी की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी, जिसमें निर्धारित दरों से अधिक खर्च की कटौती सफल निविदाकार की सुरक्षा निधि से या अगले बिल से काट ली जायेगी।
6. निविदाकार को अपनी दुकान/मकान का पता एवं दूरभाष/मोबाइल नं. देना आवश्यक होगा।
7. निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय की गई सामाग्री ब्राण्डेड होनी चाहिये। किसी भी सामाग्री के ब्राण्ड एवं गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त करने का अधिकारी विपणन संघ के के पास सुरक्षित रहेगा।
8. निविदा स्वीकृत होने के 07 दिवस के भीतर सफल निविदाकार को 100.00 रूपये के स्टाम्प में इकरारनामा प्रस्तुत करना होगा अन्यथा निविदा निरस्त कर द्वितीय निविदाकार को सामाग्री प्रदाय आदेश जारी किया जावेगा। ऐसी स्थिति में अंतर की राशि सुरक्षा निधि से वसूली योग्य होगी।
9. भाग ख वित्तीय लिफाफा में सर्वाधिक वर्गों में न्यूनतम दर वाले निविदाकार की निविदा नेगोशियेशन के उपरांत स्वीकृत की जा सकेगी।
10. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर को होगा, जो अंतिम रूप से बंधनकारी होगा।
11. अगर सफल निविदाकार, निविदा एवं इकरारनामा की किसी शर्त या शर्तों को उल्लंघन करता है तो करारनामा समाप्त कर जमानत राशि की आंशिक या पूर्ण रूप से राजसात कर ली जायेगी और दो वर्ष के लिये संबंधित फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।
12. क्रय की मात्रा में कमी या अधिक्य के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर में निहित होगा।
13. ऐसे निविदाकार जिन्होंने वेबसाइट से डाउनलोड करके निविदा भरी है, निविदा फीस निविदा प्रस्तुत करते समय बैंक ड्राफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जावेगी। निविदा फार्म की कीमत 1000.00 रूपये होगी, जो वापसी योग्य नहीं होगी।
14. प्रथम बार भुगतान प्राप्त करने हेतु निरस्त चैक की प्रति देयक के साथ लगानी होगी। समस्त भुगतान RTGS/PFMS के माध्यम से किये जावेंगें। नियमानुसार करों की कटौती देयक से की जावेगी। पेन नं./जी.एस.टी. नं. उपलब्ध कराने/नहीं कराने पर नियमानुसार करों की कटौती की जावेगी। आयकर एवं जी.एस.टी. अधिनियम के अनुसार प्रचलित दर/लागू दर पर कर की कटौती की जावेगी
15. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर इस अनुबंध की अवधि को पुनः आगामी अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाये जाने एवं आवश्यकता अनुसार निविदा दरों में वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
16. निविदत्त फर्म से सामाग्री लेने व न लेने का अधिकार अथवा किसी भी फर्म से सामाग्री लेने का अधिकार तथा इस निविदा को किसी भी चरणों में निरस्त करने का अधिकारी विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
17. अनुबंधकर्ता द्वारा देयक मासिक आधार पर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह की अवधि में देयक दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।

18. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
19. विपणन संघ द्वारा भाग 'ख' में प्रस्तावित सामाग्रियों में जिस निविदाकार का अधिकतम सामाग्रियों में दर न्यूनतम होगा उसे ही नेगोशियेसन उपरांत निविदा प्रदान की जावेगी।
20. ऐसा टोनर जो निविदा के भाग 'ख' में प्रस्तावित नहीं है इस स्थिति में सक्षम अनुमोदन लेकर प्रदाय किया जा सकेगा।
21. निविदा के भाग 'ख' में प्रस्तावित सामाग्रीयों में रिफलिंग हेतु बिंदू क्र. 01 से 10 तक के लिये एक ही दर होगा। इसी तरह रिफलिंग हेतु बिंदू क्र. 13 से 15 तक के लिये एक ही दर होगा।
22. छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक/243/वि./नि./चार/2013 नया रायपुर दिनांक 06.07.2013 द्वारा आदेशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय नवा रायपुर, अटल नगर एवं निविदाकार के मध्य ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) जो कि निविदा दस्तावेज का अभिन्न अंग है, को निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) संलग्न नहीं, की स्थिति में निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) का प्रारूप इस निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न है (परिषिश्ट 4)। उक्त दस्तावेज निविदाकार अपने लेटरहैड में प्रत्येक पृष्ठ पर सील सहित हस्ताक्षर कर निविदा के साथ संलग्न करें। निविदाकार यदि कंपनी/फर्म है, तो उक्त दस्तावेज अधिकृत प्रतिनिधि/संचालक/भागीदार द्वारा हस्ताक्षर एवं सील सहित संलग्न करें। यह ''सत्यनिष्ठा संधि'' (Integrity Pact) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय रायपुर द्वारा हस्ताक्षरित माना जायेगा।
23. किसी भी सामाग्री का दर एम.आर.पी. से अधिक नहीं होना चाहिये।

भाग – ''क''

(तकनीकी लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
मुख्यालय, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

1. निविदाकार का पूरा नाम एवं पता : .....
.....
.....
2. दूरभाष क्र./मोबाईल नं. : .....
.....
3. निविदाकार का स्वरूप : .....
(फर्म/कंपनी/स्वामित्व/हिन्दु अविभाजित परिवार)
4. फर्म का नाम एवं पता : .....
.....
5. फर्म की स्थापना, पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक : .....
6. फर्म का स्थाई लेखा संख्या प्रपत्र (पैन कार्ड) : .....
7. वस्तु एवं सेवा कर का पंजीयन प्रमाण पत्र : .....
8. विगत दो वर्ष का आयकर विवरणी संलग्न करे : .....
9. निर्धारित जमा की गई अमानत राशि : .....
का विवरण

रूपये कुल .....
बैंक ड्राफ्ट नंबर .....
बैंक का नाम .....

10. निविदा फार्म हेतु जमा की गई राशि का : .....
का विवरण

रूपये कुल .....
बैंक ड्राफ्ट नंबर .....
बैंक का नाम .....

11. संलग्न निविदाकार के हस्ताक्षरित इकरारनामा : .....
12. इस दस्तावेज के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची (निविदा शर्त क्रमांक 02(अ) अनुसार)
13. यदि विपणन संघ द्वारा हमें/मुझे किराये के वाहन सौंपा जाता है तो हम/मै नियमानुसार प्रतिभूति राशि एवं बैंक गारंटी जमा करके अनुबंध करने के लिए सहमत है/हूँ।
14. हम/मै इसके द्वारा घोषित करते हैं/करता हूँ कि निविदा फार्म तथा उसके साथ संलग्न परिशिष्टों में की गई प्रविष्टियॉ मेरे विश्वास एवं ज्ञान में सही है।

दिनांक – .....

स्थान – .....

हस्ताक्षर — .....

नाम — .....

फर्म का नाम — .....

पूरा पता — .....

हैसियत — .....

मुहर — .....

नोट :— इसमें अपेक्षित विवरण स्पष्ट रूप से भरे एवं संपूर्ण कॉलम में प्रविष्ट अतिआवश्यक है, अन्यथा अपेक्षित विवरण के अभाव में निविदा निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

भाग – ''ख''

(वित्तीय लिफाफा हेतु)

निविदाकर्ता का परिचय एवं संक्षिप्त विवरण

निविदाकर्ता का नाम : .....

पता : .....

फर्म का नाम : .....

प्रति,

प्रबंध संचालक,
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित,
मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)

प्रिय महोदय,

1. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर परिवहन कार्य हेतु प्रकाशित निविदा सूचना को पढ़कर हमने/मैने कार्यालय में निर्धारित राशि जमा कर निर्धारित फार्म को हमने/मैने निविदा के आमंत्रण में दिये गये निर्देशो/संविदा शर्तो, नियमों तथा इसके परिशिष्ट में दिये गये विवरण को भली भॉति पढ़ लिया है, उनको समझ लिया है तथा हम/मै उनके पालन के लिए सहमत है/हूँ।

निविदा दर

क्र.	**टोनर का नाम**	**नये टोनर का दर** (जी.एस.टी. अतिरिक्त)	**रिफलिंग का दर** (पार्ट्स एवं मरम्मत सहित) (जी.एस.टी. अतिरिक्त)
01	HP 79A		
02	HP 12A		
03	HP 88A		
04	HP 110		
05	Canon 925		
06	Canon 103/303/703/		
07	Canon 337		
08	Canon 328		
09	Samsung MLT101S		
10	Samsung 1043S		
11	HP 126A (चारों कलर)		NA
12	Epson L5190 (चारों कलर)		NA
13	Kyocera 2201(फोटोकापी मशीन)		
14	Canon Image Runner (N59) (फोटोकापी मशीन)		
15	HP M438dn (फोटोकापी मशीन)		

दिनांक.....

स्थान.....

हस्ताक्षर एवं सील
(निविदाकार)

प्रमाण पत्र

1. प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, निविदा की सभी शर्तो एवं नियमों को पढ़ लिया गया है तथा मुझे मान्य है।
2. मेरे द्वारा दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा की गई किसी भी प्रकार की कार्यवाही मुझे मान्य है।
3. उपरोक्त निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक, विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।

हस्ताक्षर

(निविदाकार)

संलग्न – .....

दिनांक–.....

स्थान–.....

सील

निविदाकार के हस्ताक्षर व सील

इकरारनामा

यह इकरारनामा दिनांक ..... को छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, नवा रायपुर अटल नगर तथा पक्ष मेसर्स .....की ओर से श्री .....वल्द..... जिला ..... के निवासी है, के बीच निष्पादित किया गया है।

यह कि, निविदाकर्ता द्वारा विपणन संघ में दिनांक .....से दिनांक ..... तक की अवधि इकरारनामा में दर्शायी गयी दरों एवं शर्तों पर स्वीकार किया गया है।

अनुबंध शर्ते

1. प्रदाय आदेश मिलने के 24 घंटे में सामाग्री उपलब्ध कराना होगा अन्यथा खरीदी की वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी, जिसमें निर्धारित दरों से अधिक खर्च की कटौती सफल निविदाकार की सुरक्षा निधि से या अगले बिल से काट ली जायेगी।
2. निविदाकर्ता द्वारा प्रदाय की गई सामाग्री ब्राण्डेड होनी चाहिये। किसी भी सामाग्री के ब्राण्ड एवं गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर निविदा निरस्त करने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
3. अगर सफल निविदाकार, निविदा एवं इकरारनामा की किसी शर्त या शर्तों को उल्लंघन करता है तो करारनामा समाप्त कर जमानत राशि की आंशिक या पूर्ण रूप से राजसात कर ली जायेगी और दो वर्ष के लिये संबंधित फर्म का नाम काली सूची में डाल दिया जावेगा।
4. क्रय की मात्रा में कमी या अधिक्य के पूर्ण अधिकार प्रबंध संचालक छ.ग. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित नवा रायपुर अटल नगर में निहित होगा।
5. प्रथम बार भुगतान प्राप्त करने हेतु निरस्त चैक की प्रति देयक के साथ लगानी होगी। समस्त भुगतान RTGS/PFMS के माध्यम से किये जावेंगें। नियमानुसार करों की कटौती देयक से की जावेगी। पेन नं./जी.एस.टी. नं. उपलब्ध कराने/नहीं कराने पर नियमानुसार करों की कटौती की जावेगी।
6. अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी। कार्य संतोषजनक पाये जाने पर इस अनुबंध की अवधि को पुनः आगामी अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाये जाने एवं आवश्यकता अनुसार निविदा दरों में वृद्धि करने का अधिकार प्रबंध संचालक के पास सुरक्षित रहेगा।
7. निविदत्त फर्म से सामाग्री लेने व न लेने का अधिकार अथवा किसी भी फर्म से सामाग्री लेने का अधिकार विपणन संघ के पास सुरक्षित रहेगा।
8. अनुबंधकर्ता द्वारा देयक मासिक आधार पर प्रत्येक माह की समाप्ति के एक सप्ताह की अवधि में देयक दो प्रतियों में आवश्यक दस्तावेज के साथ प्रस्तुत किया जाना होगा।
9. निविदा के संबंध में यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो प्रबंध संचालक विपणन संघ या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
10. ऐसा टोनर जो निविदा के भाग 'ख' में प्रस्तावित नहीं है इस स्थिति में सक्षम अनुमोदन लेकर टोनर प्रदाय किया जा सकेगा।

गवाह :–

1. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 01 छ.ग. राज्य सह.विप. संघ की ओर से

2. नाम .....
   पता .....
   .....
   हस्ताक्षर .....

पक्ष 02 निविदाकार के हस्ताक्षर एवं सील

C.G. STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

6th Floor, Tower 'C', Commercial Complex,
CBD Building, Sector - 21, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur (C.G.)



INTEGRITY PACT

PRE-CONTRACT INTEGRITY PACT

1. GENERAL

1.1. This pre-bid contract Agreement (herein after called the Integrity Pact) is made on day of the month 20 , between, the **Chhattisgarh State Co-operative Marketing Federation Ltd.** acting through Shri _____(Designation of the officer, Department) (hereinafter called the "**BUYER/PRINCIPAL**", which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors in the office and assigns) and the First Party, proposes to procure (Name of the Stores/Equipment/Work/ Service/Materials) and M/s._____ represented by Shri _____ Chief Executive Officer/Authorized Signatory (hereinafter called the **"BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR"**, which expression shall mean and include, unless the context otherwise requires, his successors and permitted assigns) and the Second Party, is willing to offer/ has offered.

1.2. WHEREAS the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is a Private Company/Public Company/Government Undertaking/Partnership /Registered Export Agency, constituted in accordance with the relevant law in the matter and the BUYER/PRINCIPAL is a Registered Co-operative Society under the provisions of Chhattisgarh Co-operative Societies Act, 1960 performing its function on behalf of the Government of Chhattisgarh.

2. OBJECTIVES

NOW, THEREFORE, the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR agree to enter into this pre-contract agreement, hereinafter referred to as Integrity Pact, to avoid all forms of corruption by following a system that is fair, transparent and free from any influence/prejudiced dealings prior to, during and subsequent to the Contract to be entered into with a view to:-

2.1. Enabling the BUYER/PRINCIPAL to obtain the desired Stores/Equipment/ Work/Service/Materials at a competitive price in conformity with the defined specifications by avoiding the high cost and the distortionary impact of corruption on public procurement, and.

2.2. Enabling BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to abstain from bribing or indulging in any corrupt practices in order to secure the contract by providing assurance to them that their competitors will also abstain from bribing any corrupt practices and the BUYER/PRINCIPAL will commit to prevent corruption, in any form, by its official by following transparent procedures.

3. COMMITMENTS OF THE BUYER/PRINCIPAL

The BUYER/PRINCIPAL commits itself to the following:-

3.1. The BUYER/PRINCIPAL undertakes that no official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the contract, will demand, take promise for or accept, directly or through intermediaries, any bribe, consideration, gift, reward, favor or any material or immaterial benefit or any other advantage from the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either for themselves or for any person, organization or third party related to the contract in exchange for an advantage in the bidding process, bid evaluation, contracting or implementation process related to the contract.

3.2. The BUYER/PRINCIPAL will, during the pre-contract stage, treat all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs alike, and will provide to all BIDDER/SELLER/CONTRACTORs the same information and will not provide any such information to any particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR which could afford an advantage to that particular BIDDER/SELLER/CONTRACTOR in comparison to the other BIDDER/SELLER/CONTRACTORs.

3.3. All the officials of the BUYER/PRINCIPAL will report the appropriate Government office any attempted or completed breaches of the above commitments as well as any substantial suspicion of such a breach.

In case any such preceding misconduct on the part of such official(s) is reported by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/ PRINCIPAL with the full and verifiable facts and the same is *prima facie* found to be correct by the BUYER/PRINCIPAL, necessary disciplinary proceedings, or any other action as deemed fit, including criminal proceedings may be initiated by the BUYER/PRINCIPAL and such a person shall he debarred from further dealings related to the contract process. In such a case, while an enquiry is being conducted by the BUYER/PRINCIPAL, the proceedings under the contract would not be stalled.

4. COMMITMENTS OF BIDDER/SELLER/CONTRACTORS

The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits itself to take all measures necessary to prevent corrupt practices, unfair means and illegal activities during any stage of its bid or during any pre-contract or post-contract stage in order to secure the contract or in furtherance to secure it and in particular commit itself to the following:-

4.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not offer, directly or through intermediaries, any bribe, gift, consideration, reward, favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL, connected directly or indirectly with the biding process, or to any person, organization or third party related to the contract in exchange for any advantage in the bidding, evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.2. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further undertakes that it has not given, offered or promised to give, directly or indirectly any bribe, gift, consideration, reward, favor, any material or immaterial benefit or other advantage, commission, fees, brokerage, or inducement to any official of the BUYER/PRINCIPAL or otherwise in procuring the Contract of forbearing to do or having done any act in relation to the obtaining or execution of the contract or any other contract with the Government for showing or forbearing to show favor or disfavor to any person in relation to the contract or any other contract with the Government.

4.3. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR further confirms and declares to the BUYER/PRINCIPAL that the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR is the original Manufacture/ Integrator/Authorized government sponsored export entity of the stores and has not engaged any individual or firm or company whether Indian or foreign to intercede, facilitate or in any way to recommend to the BUYER/PRINCIPAL or any of its functionaries, whether officially or unofficially to the award of the contract to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR, nor has any amount been paid, promised or intended to be paid to any such individual, firm or company in respect of any such intercession, facilitation or recommendation.

4.4. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either while presenting the bid or during pre-contract negotiations or before signing the contract, shall disclose any payment he has made, is committed to or intends to make to officials of the BUYER/PRINCIPAL or their family members, agents, brokers or any other intermediaries in connection with the contract and the details of services agreed upon for such payments.

4.5. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not collude with other parties interested in the contract to impair the transparency, fairness and progress of the bidding process, bid evaluation, contracting and implementation of the contract.

4.6. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR will not accept any advantage in exchange for any corrupt practice, unfair means and illegal activities.

4.7. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not use improperly, for purpose of competition or personal gain, or pass on to others, any information provided by the BUYER/PRINCIPAL as part of the business relationship, regarding plans, technical proposal and business details, including information contained in any electronic data carrier. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR also undertakes to exercise due and adequate care lest any such information is divulged.

4.8. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR commits to refrain from giving any complaint directly or through any other manner without supporting it with full and verifiable facts.

4.9. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not instigate or cause to instigate any third person to commit any of the acts mentioned above.

5. PREVIOUS TRANSGRESSION

5.1 The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR declares that no previous transgression occurred in the last three years immediately before signing of this Integrity Pact with any other company in any country in respect of any corrupt practices envisaged hereunder or with any Public Sector Enterprise in India or any Government Department in India that could justify B1DDER's exclusion from the tender process.

5.2. If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR makes incorrect statement on this subject, BIDDER/SELLER/CONTRACTOR can be disqualified from the tender process or the contract, if already awarded, can be terminated for such reason.

6. EARNEST MONEY (SECURITY DEPOSIT)

6.1. Every BIDDER/SELLER/CONTRACTOR while submitting commercial bid, shall deposit an amount as specified in RFP/Tender Documents as Earnest Money/Security, Deposit, with the BUYER/PRINCIPAL through any of the following instruments:

(i) Bank Draft or a Pay Order in favor of.. .....

(ii) A confirmed guarantee by an Indian Nationalized Bank, promising payment of the guaranteed sum to the..... (BUYER/PRINCIPAL) on demand within three working days without any demur whatsoever and without seeking any reasons whatsoever. The demand for payment by the BUYER/PRINCIPAL shall be treated as conclusive proof of payment.

(iii) Any other mode or through any other instrument (to be specified in the RFP/Tender Documents).

6.2. The Earnest Money/Security Deposit shall be valid up to a period of five years or the complete conclusion of the contractual obligations to the complete satisfaction of both the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR and BUYER/PRINCIPAL, including warranty period, whichever is later.

6.3. In the case of successful BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, a clause would also be incorporated in the Article pertaining to Performance Bond in the Purchase Contract that the provisions of Sanctions for violation shall be applicable for forfeiture of Performance Bond in case of a decision by the BUYER/PRINCIPAL to forfeit the same without assigning any reason for imposing sanction for violation of this Pact.

6.4. No interest shall be payable by the BUYER/PRINCIPAL to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR on Earnest Money/Security Deposit for the period of its currency.

7. SANCTIONS FOR VIOLATIONS

7.1. Any breach of the aforesaid provisions by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any one employed by it or acting on its behalf (whether with or without the knowledge of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR) shall entitle the BUYER/ PRINCIPAL to take all or *any* one of the following actions, wherever required:-

(i) To immediately call off the pre contract negotiations without assigning *any* reason or giving any compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the proceedings with the other BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR(s) would continue.

(ii) To forfeit fully or partially the Earnest Money Deposit (in pre-contract stage) and/or Security Deposit/Performance Bond (after the contract is signed), as decided by the BUYER/PRINCIPAL and the BUYER/PRINCIPAL shall not be required to assign *any* reason therefore.

(iii) To immediately cancel the contract, if already signed, without giving *any* compensation to the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR.

(iv) To recover all sums already paid by the BUYER/PRINCIPAL, and in case of the Indian BIDDER/SELLER/CONTRACTOR with interest thereon at 2% higher than the prevailing Prime Lending Rate of_____ (Name of the Bank/Financial Institution) while in case of a BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from a country other than India with Interest thereon at 2% higher than the LIBOR. If any outstanding payment is due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from the BUYER/PRINCIPAL in connection with any other contract such outstanding payment could also be utilized to recover the aforesaid sum and interest

(v) To encash the advance bank guarantee and performance bond/warranty bond, if furnished *by* the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, in order to recover the payments, already made by the BUYER/PRINCIPAL, along with interest.

(vi) To cancel all or any other contracts with the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/ PRINCIPAL resulting from such cancellation/rescission and the BUYER/ PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

(vii) To debar the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR from participating in future bidding processes of the BUYER/PRINCIPAL for a minimum period of five years, which may be further extended at the discretion of the BUYER/PRINCIPAL.

(viii) To recover all sums paid in violation of this Pact by BIDDER/SELLER/CONTRACTOR(s) to any middlemen or agent or broken with a view to securing the contract.

(ix) In cases where irrevocable Letters of Credit have been received in respect of any contract signed by the BUYER/PRINCIPAL with the BIDDER/SELLER /CONTRACTOR, the same shall not be opened.

(x) If the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any employee of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR or any person acting on behalf of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR, either directly or indirectly, is closely related to any of the officers of the BUYER/PRINCIPAL, or alternatively, if any close

relative of an officer of the BUYER/PRINCIPAL has financial interest /stake in the BIDDER /SELLER / CONTRACTOR's firm, the same shall be disclosed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR at the time of tilling of tender. Any failure to disclose the interest involved shall entitle the BUYER/PRINCIPAL to rescind the contract without payment of *any* compensation to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

The term 'close relative' for this purpose would mean spouse whether residing with the Government servant or not, but not include a spouse separated from the Government servant by a decree or order of a competent court; son or daughter or step son or step daughter and wholly dependent upon Government servant, but does not include a child or step child who is no longer in any way dependent upon the Government servant or of whose custody the Government servant has been deprived of by or under any law; any other person related, whether by blood or marriage, to the Government servant or to the Government servant's wife or husband and wholly dependent upon Government servant

(xi) The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall not lend to or borrow any money from or enter into any monetary dealings or transactions, directly or indirectly, with any employee of the BUYER/PRINCIPAL, and if he does so, the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled forthwith to rescind the contract and all other contracts with the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. The BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall be liable to pay compensation for any loss or damage to the BUYER/PRINCIPAL resulting from such rescission and the BUYER/PRINCIPAL shall be entitled to deduct the amount so payable from the money(s) due to the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR.

7.2. The decision of the BUYER/PRINCIPAL to the effect that a breach of the provisions of this pact has been committed by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR shall be final and conclusive on the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR. However, the BIDDER/ SELLER/CONTRACTOR can approach the Monitor(s) appointed for the purposes of this Pact.

8. <u>FALL CLAUSE</u>

8.1. The BIDDER/SELLER/CONTRACTOR undertakes that if has not supplied/is not supplying similar product/systems or subsystems at a price lower than that offered in the present bid in respect of any other Department of the Government of Chhattisgarh or PSU and if it is found at any stage that similar product/systems or sub systems was supplied by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to any other Department of the Government of Chhattisgarh or a PSU at a lower price, then that very price, with due allowance for elapsed time, will be applicable to the present case and the difference in the cost would he refunded by the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR to the BUYER/PRINCIPAL, if the contract has already been concluded.

9. INDEPENDENT' MONITORS

9.1. The BUYER/PRINCIPAL will appoint Independent Monitors (hereinafter referred to as Monitors) for this Pact.

9.2. The task of the Monitors shall be to review independently and objectively, whether and to what extent the parties comply with the obligations under this Pact.

9.3. The Monitors shall not be subject to instructions by the representatives of the parties and perform their functions neutrally and independently.

9.4. Both the parties accept that the Monitors have the right to access all the documents relating to the project/procurement, including minutes of meetings. The Monitor shall be under contractual obligation to treat the information and documents of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR Subcontractor(s) with confidentiality.

9.5. As soon as the Monitor notices, or has reason to believe, a violation of this Pact, he will so inform the Authority designated by *the* BUYER/PRINCIPAL.

9,6. The Monitor will submit a written report to the designated Authority of BUYER/PRINCIPAL/Secretary of the BUYER/PRINCIPAL within 8 to 10 weeks from the date of reference or intimation to him by the BUYER/PRINCIPAL/ BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and, should the occasion arise, submit proposals for correcting problematic situations

10. FACILITATION OF INVESTIGATION

in case of any allegation of violation of any provisions of this Pact or payment of commission, the BUYER/PRINCIPAL or its agencies shall be entitled to examine all the documents including the Books of Accounts of the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR and the BIDDER/SELLER/ CONTRACTOR shall provide necessary information of the relevant documents and shall extend all possible help for the purpose of such examination,

11. LAW AND PLACE OF JURISDICTION

This Pact is subject to Indian Law, the place of performance and jurisdiction shall be the seat of the BUYER/PRINCIPAL i.e. at RAIPUR Chhattisgarh.

12. OTHER LEGAL ACTIONS

The actions stipulated in this Integrity Pact are without prejudice to any other legal action that may follow in accordance with the provisions of the any other law in force relating to any civil or criminal proceedings.

13. VALIDITY

13.1. The validity of this Integrity Pact shall be from the date of its signing and extend up to 5 years or the complete execution of the contract to the satisfaction of both the BUYER/PRINCIPAL and the BIDDER/SELLER/CONTRACTOR whichever is later, In

case BIDDER/SELLER/CONTRACTOR is unsuccessful, this Integrity Pact shall expire after six months from the date of the signing of the contract.

13.2. If one or several provisions of this Pact turn out to be invalid; *the* remainder of this Pact shall remain valid. In such case, the parties will strive to come to an agreement to their original intentions.

14. The parties hereby sign this Integrity Pact at..... on.....

BUYER/PRINCIPAL **BIDDER/SELLER/CONTRACTOR**

Name of the Officer
CHIEF EXECUTIVE OFFICER/AUTHORISED SIGNATORY
Designation
Chhattisgarh State Co-operative Marketing Fed.Ltd.

Witness **Witness**

1) _____ **1)** _____

2) _____ **2)** _____